



मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी: श्री दीपक दुबे (आर.जे.एस.)

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

1-मोटर दुर्घटना दावा संख्या 73/2023

(सी.आई.एस. नं. 73/2023)

- 1- हेमराज मेहर पुत्र बालाराम, आयु 54 वर्ष, जाति मेहर, निवासी-ग्राम डूंगर गांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)मृतक के पिता
- 2- शान्ति पत्नि हेमराज मेहर, आयु 53 वर्ष, जाति मेहर, निवासी-ग्राम डूंगर गांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)मृतक की माता
- 3- मेघा कुमारी पुत्री हेमराज मेहर, आयु 22 वर्ष, जाति मेहर, निवासी- ग्राम डूंगर गांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)मृतक की बहिन
- 4- माया मेहर पुत्री हेमराज मेहर, आयु 23 वर्ष, जाति मेहर, निवासी- ग्राम डूंगर गांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)मृतक की बहिन...प्रार्थीगण

2-मोटर दुर्घटना दावा संख्या 74/2023

(सी.आई.एस. नं. 74/2023)

- 1- हेमराज मेहर पुत्र बालाराम, आयु 54 वर्ष, जाति मेहर, निवासी-ग्राम डूंगर गांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)मृतक के दादा
- 2- शान्ति पत्नि हेमराज मेहर, आयु 53 वर्ष, जाति मेहर, निवासी-ग्राम डूंगर गांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)मृतक की दादी
- 3- मेघा कुमारी पुत्री हेमराज मेहर, आयु 22 वर्ष, जाति मेहर, निवासी- ग्राम डूंगर गांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)मृतक की बुआ
- 4- माया मेहर पुत्री हेमराज मेहर, आयु 23 वर्ष, जाति मेहर, निवासी- ग्राम डूंगर गांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)मृतक की बुआप्रार्थीगण

3-मोटर दुर्घटना दावा संख्या 75/2023

(सी.आई.एस. नं. 75/2023)

- 1- रतन बाई बेवा कन्हैयालाल मालवीय, आयु 48 वर्ष, निवासी- तोपखाना गेट खिलचीपुर, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश।मृतका की माता
- 2- हेमराज मेहर पुत्र बालाराम, आयु 54 वर्ष, जाति मेहर, निवासी- ग्राम डूंगर गांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)मृतका के ससुर
- 3- शान्ति पत्नि हेमराज मेहर, आयु 53 वर्ष, जाति मेहर, निवासी- ग्राम डूंगर गांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)मृतका की सांस
- 4- मेघा कुमारी पुत्री हेमराज मेहर, आयु 22 वर्ष, जाति मेहर, निवासी- ग्राम डूंगर गांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)मृतका की ननद
- 5- माया मेहर पुत्री हेमराज मेहर, आयु 23 वर्ष, जाति मेहर, निवासी- ग्राम डूंगर गांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)मृतका की ननदप्रार्थीगण



-बनाम-

- 1- साले मोहम्मद पुत्र नूरदीन, आयु 50 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी- डेरियो की ढाणी, पोस्ट सिला थाना लोहावट, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर (राज.) पिन कोड- 342301 (वाहन चालक ट्रक नं. आरजे19 जी.एच. 5519)
- 2- सहिदुल्ला खान पुत्र साले मोहम्मद, आयु 28 वर्ष, निवासी- डेरियो की ढाणी, पोस्ट सिला थाना लोहावट, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर, (राज.)पिन कोड- 342301 (वाहन मालिक ट्रक नं. आरजे19 जी.एच. 5519)
- 3- दि ओरिएण्डल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड रजिस्टर्ड पता ए-25/27 आसफ अली रोड, नई दिल्ली, स्थानीय पता-टी.पी. हब कचहरी रोड गुजराती स्कूल के पास, अजमेर, राजस्थान।(वाहन बीमा ट्रक नं. आरजे19 जी.एच. 5519)

.....अप्रार्थीगण

क्लैम याचिकाएं अंतर्गत धारा 166 मोटर यान अधिनियम

उपस्थिति:-

- 1- श्री अविनाश गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
- 2- श्री चरण सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से।
- 3- श्री द्वारका लाल गुप्ता, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 06.05.2026

1- प्रार्थीगण द्वारा यह तीनों क्लैम याचिकाएं दुर्घटना में हरीश मेहर, केशव उर्फ काव्यांश व अन्तिमा मालवीय की मृत्यु होने जाने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने हेतु पेश की है।

2- दिनांक 10.02.2023 को पुलिसथाना भोजपुर, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश के समक्ष बृजराजसिंह खींची पिता सुरेन्द्रसिंह खींची निवासी ग्राम ढाबलीकलॉ थाना भोजपुर ने एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी कि वह मनु पब्लिक स्कूल कस्बा अकलेरा जिला झालावाड़ में प्रिंसिपल के पद पर पर कार्यरत है। आज दिनांक 10.02.2023 को शाम 4.30 बजे वह अपने पेटूक गांव ढाबलीकलॉ में गांव ढाबलीकलॉ जोड़ एन.एच. 52 पर स्पीडब्रेकर के पास खड़ा था तभी कस्बा भोजपुर की तरफ से एक मोटरसाईकिल संख्या आर.जे.17 एस.जेड.0718 का चालक उसकी मोटरसाईकिल पर एक महिला व एक बच्चा करीबन 03-04 वर्ष को बिठाकर लाया जो खिलचीपुर की ओर जा रहा था कि तभी उसके पीछे भोजपुर की ओर से एक ट्रक सं. आर.जे.19 जी.एच. 5519 का चालक ट्रक को तेजगति व लापरवाही से खतरनाक तरीके से चलाकर लाया और ट्रक के आगे चल रही मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी जिससे मोटरसाईकिल के चालक, उसके पीछे बैठी महिला तथा बच्चे की मौके पर ही मौत हो गयी। आदि

3- उक्त रिपोर्ट पर पुलिसथाना भोजपुर, जिला राजगढ़ द्वारा प्र. सं. 42/2023 अंतर्गत धारा 279, 337, 304 ए भा.द.सं. व धारा 184 एमवी एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया तथा बाद आवश्यक अनुसंधान अप्रार्थी सं. 1 वाहन चालक साले मोहम्मद के विरुद्ध



अंतर्गत धारा 279, 337, 304 ए भा.द.सं. व धारा 184 एम.वी. एक्ट में सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

4- क्लैम याचिका सं. 73/2023 में प्रार्थीगण द्वारा इस आशय का अभिवचन किया है कि दुर्घटना अप्रार्थी सं. 1 द्वारा वाहन को तेजगति, गफलत व लापरवाही से चालित किये जाने के कारण घटित हुई है, जिसमें हरीश कुमार की मृत्यु कारित हुई, जिससे प्रार्थीगण अपने पुत्र/भाई के प्यार व स्नेह से वंचित हो गये। मृतक दुर्घटना से पूर्व टेगौर बी.एड. कॉलेज अकलेरा से बी.एड. की पढ़ाई कर रहा था। प्रार्थीगण ने मृतक के दाह संस्कार व क्रियाकर्म में हुए खर्चों व अन्य विभिन्न मदों का उल्लेख करते हुए बतौर क्षतिपूर्ति 1, 20, 50, 000/-रुपये की राशि दिलवाये जाने की प्रार्थना की है।

5- क्लैम याचिका सं. 74/2023 में प्रार्थीगण द्वारा इस आशय का अभिवचन किया है कि दुर्घटना अप्रार्थी सं. 1 द्वारा वाहन को तेजगति, गफलत व लापरवाही से चालित किये जाने के कारण घटित हुई है, जिसमें केशव उर्फ काव्यांश आयु 04 वर्ष की मृत्यु कारित हुई, जिससे प्रार्थीगण अपने पौत्र/भतीजे के प्यार व स्नेह से वंचित हो गये। प्रार्थीगण ने मृतक के दाह संस्कार व क्रियाकर्म में हुए खर्चों व अन्य विभिन्न मदों का उल्लेख करते हुए बतौर क्षतिपूर्ति 39, 75, 000/-रुपये की राशि दिलवाये जाने की प्रार्थना की है।

6- क्लैम याचिका सं. 75/2023 में प्रार्थीगण द्वारा इस आशय का अभिवचन किया है कि दुर्घटना अप्रार्थी सं. 1 द्वारा वाहन को तेजगति, गफलत व लापरवाही से चालित किये जाने के कारण घटित हुई है, जिसमें अन्तिमा की मृत्यु कारित हुई, जिससे प्रार्थीगण अपनी पुत्री/बहू/भाभी के प्यार व स्नेह से वंचित हो गये। मृतका दुर्घटना से पूर्व बच्चों को ट्युशन पढ़ाकर प्रतिमाह 25, 000/- रुपये आय अर्जित करती थी। प्रार्थीगण ने मृतका के दाह संस्कार व क्रियाकर्म में हुए खर्चों व अन्य विभिन्न मदों का उल्लेख करते हुए बतौर क्षतिपूर्ति 69, 20, 000/-रुपये की राशि दिलवाये जाने की प्रार्थना की है।

7- अप्रार्थी सं. 1 व 2 वाहन चालक/स्वामी ने जवाब याचिका पेश कर याचिकाओं में अंकित तथ्यों को अस्वीकार कर विशेष कथन में अंकित किया कि वक्त दुर्घटना अप्रार्थी सं. 1 वाहन चालक के पास वाहन को चलाने का वैध एवं प्रभावी लाइसेंस था। अप्रार्थीगण के वाहन से दुर्घटना कारित नहीं हुई। वक्त दुर्घटना वाहन ट्रक नं. आर.जे.19 जी.एच. 5519 अप्रार्थी सं. 3 बीमा कम्पनी के पास बीमित था, इसलिए सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि अदायगी की जिम्मदारी अप्रार्थी सं.3 बीमा कम्पनी की है। अतः क्लैम याचिकाएं खारिज की जावे।



8- अप्रार्थी सं. 3 बीमा कम्पनी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाओं के तथ्यों को अस्वीकार कर उल्लेख किया कि उक्त दुर्घटना वाहन ट्रक नं. आर.जे.19 जी.एच. 5519 के चालक द्वारा गफलत व लापरवाही वाहन को चलाने के कारण घटित नहीं हुई। वक्त दुर्घटना अप्रार्थी सं. 1 वाहन चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी लाइसेंस नहीं था। वक्त दुर्घटना वाहन को बिना परमिट के संचालित किया जा रहा था। दुर्घटना में मोटरसाईकिल चालक की लापरवाही रही है, इस कारण दुर्घटना में उसकी भी योगदायी उपेक्षा रही है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 तथा 2 द्वारा साज कर क्लैम याचिका प्रस्तुत की गयी है। क्लैम याचिका सं. 74/2023 में मृतक 3-4 साल का बालक है, जिसके लिए प्रतिकर राशि न्यायालय द्वारा निश्चित की गयी है। अतः क्लैम याचिकाएं खारिज की जावे।

9- उक्त तीनों क्लैम याचिकायें एक ही दुर्घटना से संबंधित होने से दिनांक 28.02.2024 को इनको समेकित किया जाकर उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 28.02.2024 को निम्नलिखित समेकित विवाद्यक विरचित किए गए:-

1- आया दिनांक 10.02.2023 को शाम के करीब 04:30 बजे ग्राम ढाबली कला के समीप, नेशनल हाइवे रोड नम्बर 52 पर, पुलिसथाना भोजपुर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश के क्षेत्राधिकार में अप्रार्थी सं. 1 वाहन चालक ने वाहन ट्रक सं. आर.जे.19 जी.एच. 5519 जिसका स्वामी अप्रार्थी सं. 2 था एवं अप्रार्थी सं. 3 के यहां बीमित था, को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मोटरसाईकिल सं. आर. जे.17 एस.जेड. 0718 के टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाईकिल पर सवार हरीश कुमार, केशव उर्फ काव्यांश व अन्तिमा मालवीय की मृत्यु कारित हुई?

2- आया अप्रार्थीगण द्वारा जवाब याचिकाओं में पेश आधारों व आपत्तियों के मद्देनजर मोटर दुर्घटना दावा खारिज किए जाने योग्य है?

3- आया प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति स्वरूप कितनी-कितनी राशि किस पक्षकार से किस प्रकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

4- अनुतोष?

10- क्लैम याचिका के समर्थन में प्रार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में हेमराज मेहर ए.ड. 1, रतनबाई. ए.ड. 2, माया मेहर ए.ड. 3 एवं **ब्रजराज सिंह खींची** ए.ड. 4 को परीक्षित कराया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में निम्न दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित कराये गये हैं:-



क्रमांक	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1	प्रदर्श- 1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2	प्रदर्श- 2	आरोप पत्र
3	प्रदर्श- 3	सूचना प्रपत्र
4	प्रदर्श- 4	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट
5	प्रदर्श- 5	नक्शा मौका
6	प्रदर्श- 6	सम्पति जप्ती प्रपत्र
7	प्रदर्श- 7	वाहन की जप्ती प्रपत्र के कागजात
8	प्रदर्श- 8	पोस्टमार्टम रिपोर्ट- हरीश
9	प्रदर्श- 9	पंचनामा लाश
10	प्रदर्श- 10	बीमा पॉलिसी
11	प्रदर्श- 11	परमिट ऑथोराइजेशन
12	प्रदर्श- 12	फिटनेस
13	प्रदर्श- 13	नेशनल परमिट
14	प्रदर्श- 14	पोस्टमार्टम रिपोर्ट आवेदन
15	प्रदर्श- 15	पोस्टमार्टम रिपोर्ट अन्तिमा
16	प्रदर्श- 16	पोस्टमार्टम रिपोर्ट केशव
17	प्रदर्श- 17	शव परीक्षण
18	प्रदर्श- 18	नोटिस 133 एमवी एक्ट
19	प्रदर्श- 19	सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र
20	प्रदर्श- 20	सुपुर्दगीनामा
21	प्रदर्श- 21	पी.टी.ई.टी रिजल्ट
22	प्रदर्श- 22-26	फीस जमा रसीद
23	प्रदर्श- 27	आई.टी. सर्टिफिकेट
24	प्रदर्श- 28-32	अंकतालिका- हरीश
25	प्रदर्श- 33	मोटरसाइकिल रिपेयर बिल
26	प्रदर्श- 34-44	अंकतालिका- अंतिमा
27	प्रदर्श- 46	हरीश का असल डाइविंग लाइसेंस
28	प्रदर्श- 46 ए	हरीश के डाइविंग लाइसेंस की प्रति

11- अप्रार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में सहीदुल्ला खॉन एन.ए. ड. 1 वाहन स्वामी को परीक्षित कराया है तथा प्रलेखीय साक्ष्य में निम्न दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित कराये गये हैं:-

क्रमांक	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1	प्रदर्श- ए-1 ए	डाइविंग लायसेंस साले मोहम्मद अप्रार्थी सं.1
2	प्रदर्श- ए-2 ए	आर.सी.

12- प्रार्थीगण की ओर से लिखित बहस पेश की गयी है जिसका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

13- उभयपक्ष की बहस अन्तिम सुनी जाकर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 28.02.2024 को अधिकरण द्वारा विरचित समेकित विवाद्यकों का निराकरण निम्नानुसार किया जा रहा है:-

विवाद्यक सं. 1 व 2 :-

14- यह दोनों विवाद्यक एक-दूसरे से संबंधित होने से साक्ष्य विवेचन की सुविधा से इनका एक साथ विनिश्चय किया जा रहा है।



15- विवाद्यक सं.1 को सिद्ध करने का भार प्रार्थीगण पर तथा विवाद्यक सं. 3 को सिद्ध करने का भार अप्रार्थीगण पर है, जिसमें यह देखा जाना है कि क्या दिनांक 10.02.2023 को अप्रार्थी सं. 1 द्वारा वाहन ट्रक आर.जे.19 जी.एच. 5519 को गफलत, लापरवाही से चलाकर मृतक हरीश की मोटरसाईकिल नं. आर.जे.17 एस.जेड 0718 के टक्कर मारी जिससे उस पर सवार हरीश, केशव उर्फ काव्यांश तथा अंतिमा की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा इस संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा जवाब में ली गयी आपत्तियां सार्थक है अथवा नहीं?

16- हस्तगत मामले में चक्षुदर्शी साक्षी जो रिपोर्टकर्ता भी है ए.ड. 4 के रूप में परीक्षित हुआ है, ने अपने सशपथ कथनों में दुर्घटना की पुष्टि करते हुए साक्ष्य दी है कि दिनांक 10.02.2023 को शाम 4.30 बजे वह राजेन्द्रसिंह चौकीदार के साथ ढाबली चौराहे पर था उसी समय उन्होंने लगभग 50 मीटर दूर से गाड़ियों की आवाज आने पर उस ओर देखा तो मोटरसाईकिल नं.718 थे जिस पर एक आदमी, एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठे हुए थे उन्हें पीछे से आ रहे ट्रक नं. आर.जे.19 जी.ए. 5519 ने टक्कर मार दी तथा ट्रक वाला टक्कर मारने के बाद मोटरसाईकिल को कुछ दूरी तक घसीटता हुआ ले गया । मोटरसाईकिल पर तीनों लोग घटनास्थल पर ही मर गये। दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाही से हुयी थी। मैंने मृतक की जेब से उसका आधारकार्ड लेकर उसके गांव व परिवार वालों को सूचना दी थी। मरने वाले का नाम हरीश था, उसने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श-1 दर्ज करवायी थी। जिरह में भी इसने स्पष्ट स्वीकार किया है कि वह दुर्घटना के समय घटनास्थल पर ही था। इस बात को गलत बताया कि मरने वाला उसका रिश्तेदार हो और दुर्घटना मोटरसाईकिल चालक की गलती से हुयी हो व इसमें ट्रक चालक की कोई गलती नहीं हो। इस तरह इस गवाह ने दुर्घटना उसके समक्ष होने की पूरी तरह से पुष्टि की है जिसका खण्डन नहीं हो सका है।

17- ए. ड. 1 हेमराज मेहर जो मृतक हरीश का पिता है ने भी साक्ष्य दी है कि दिनांक 10.02.2023 को उसका पुत्र हरीश उसकी पत्नि अंतिमा व उनका पुत्र काव्यांश आयु 04 वर्ष मोटरसाईकिल नं. आर.जे.17 एस.जेड 0718 से डूंगरगांव से अपने ससुराल खिलचीपुर कार्यक्रम में जा रहे थे, रास्ते में नेशनल हाइवे नं. 52 पर ढाबलीकलों के समीप 4.30 बजे पीछे से ट्रक नं. आर.जे.19 जी.एच.5519 के चालक साले मोहम्मद ने ट्रक को तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाकर हरीश की मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी और उसके पुत्र हरीश, बहू अंतिमा व पोत्र केशव उर्फ काव्यांश को कुचल दिया जिनकी मौके पर ही मौत हो गयी जिनको खिलचीपुर अस्पताल ले गये जहाँ उनका पोस्टमार्टम हुआ था।



जिरह में इसने इस बात को गलत बताया है कि दुर्घटना में उसके पुत्र की लापरवाही रही हो। इस बात से इन्कार किया है कि दुर्घटना में अप्रार्थी सं. 1 की लापरवाही नहीं रही हो।

18- ए. ड. 2 रतनबाई मृतक की सास व मृतका अंतिमा की माता है ने भी इसी तरह की साक्ष्य दी है और जिरह में यह स्वीकार किया है कि मैंने दुर्घटना नहीं देखी है।

19- ए. ड. 4 माया जो मृतक हरीश की बहिन है ने भी यही साक्ष्य दी है कि दिनांक 10.02.2023 को कारित सड़क दुर्घटना में उसके भाई हरीश कुमार का देहांत हो गया था।

20- अप्रार्थीगण की ओर से खण्डन में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन ट्रक के चालक अप्रार्थी सं. 1 साले मोहम्मद को परीक्षित नहीं कराया है जबकि वह इस संबंध में सर्वोत्तम साक्षी हो सकता था जो इस बात को कह सकता था कि दुर्घटना उसकी लापरवाही से कारित नहीं हुयी है किंतु अप्रार्थीगण द्वारा उसे पेश नहीं किया है तथा एन.ए.ड. 2 के रूप में परीक्षित सहीदुल्ला खॉन दुर्घटनाग्रस्त वाहन ट्रक का स्वामी है ने अपनी जिरह में इस बात को स्वीकार किया है कि दिनांक 10.02. 2023 को साले मोहम्मद ही गाड़ी चला रहा था और इसी दुर्घटना से संबंधित फौज दारी प्रकरण जे.एम.एफ.सी. खिलचीपुर जिला राजगढ़ में चल रहा है। उसके वाहन को पुलिस ने जब्त किया था जिसे उसने अदालत से छुड़ाया था जिसकी फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श-20 है।

21- इस प्रकार विपक्षीगण की ओर से भी दुर्घटना उनके वाहन ट्रक नं. आर.जे.17 जी.ए. 5519 को अप्रार्थी सं. 1 साले मोहम्मद द्वारा तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाकर मृतक की मोटरसाईकिल नं. आर.जे.17 एस.जेड. 0718 के टक्कर मारकर कारित न की गयी हो इसका किसी तरह से खण्डन नहीं कराया जा सका है और हस्तगत मामले में घटना के चक्षुदर्शी साक्षी ए.ड. 4 बृजराजसिंह खींची द्वारा दुर्घटना के तुरंत बाद थाना भोजपुर पर इस संबंध में रिपोर्ट प्रदर्श-1 दी है, जिसके आधार पर प्र 0 सं. 42/2023 दर्ज किया जाकर आवश्यक अनुसंधान के पश्चात अप्रार्थी सं. 1 साले मोहम्मद द्वारा दुर्घटना कारित किया जाना प्रमाणित मानते हुए उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र भी प्रस्तुत किया है इस तथ्य को वाहन स्वामी ए. ड. 2 सहीदुल्ला खान ने भी अपने सशपथ कथनों में स्वीकार किया है, ऐसी दशा में इस अधिकरण के विनम्र मत में दुर्घटना के मामले मे दुर्घटना में लिप्त वाहन के चाहन चालक के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत होना प्रथम दृष्टया उसे आरोप में लिप्त होना दर्शित करता है और क्लैम याचिका के निस्तारण के समय यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि प्रार्थीगण अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित



करे। क्लैम याचिका के निस्तारण के समय संभावनाओं की प्रबलता के मानक को दृष्टिगत रखते हुए कठोर निर्वचन के स्थान पर उदार निर्वचन किया जाना चाहिए।

इस संदर्भ में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं:-

2025 0 Supreme(SC) 747

मीरा बाई बनाम आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड व अन्य निर्णय दिनांक 30.04.2025 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि:-

Negligence in motor vehicle accidents can be established through FIR and Charge sheet, even without eyewitness testimony.

2018(1) ए.सी.टी.सी.(एस.सी.) 479

मंगलाराम बनाम ओरियन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि:-

I. Under Sec. 166 of Motor vehicles Act, 1988 Claimants are merely to establish their case on the touchstone of the preponderance of probability. Standard of proof beyond reasonable doubt cannot be applied by Tribunal while dealing with the motor accident cases.

II. Way of filling of charge sheet against the driver of offending vehicle prima facie points towards his complicity in driving negligently and rashly. Even when the accused were to be acquitted in the criminal case, the same may be of no effect on the assessment of the liability required in respect of motor accident cases by the Tribunal.

22- **जहां तक विवाद्यक सं. 2 के अधीन अप्रार्थीगण की आपत्तियों का निर्धारण किए जाने का प्रश्न है।** अप्रार्थीगण की ओर से अपनी आपत्तियों के संबंध में प्रथमतः कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश नहीं की है तथा परीक्षित साक्षी एन.ए.ड. 1 वाहन स्वामी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और उसने भी इस दुर्घटना का प्रकरण न्यायालय में चलना और अपने वाहन को पुलिस द्वारा जब्त किया जाना उसे न्यायालय से अपनी सुपुर्दगी में लिया जाना स्वीकार किया है, ऐसी दशा में दुर्घटना उनके वाहन से कारित नहीं हुयी हो इसका किसी तरह से खण्डन नहीं हो सका है, इसलिए अप्रार्थीगण द्वारा ली गयी यह आपत्ति कि दुर्घटना उनके तथाकथित वाहन से नहीं हुई है, के संबंध में किए गए विवेचन से सही नहीं है।



23- अन्य आपत्तियों का जहां तक प्रश्न है, अप्रार्थी सं. 3 बीमा कंपनी की महत्वपूर्ण रूप से यह आपत्ति रही है कि वाहन चालक अप्रार्थी सं. 1 के पास दुर्घटना की तिथि को वैध एवं प्रभावी लाईसेंस नहीं था, इस संबंध में पत्रावली पर मौजूद अप्रार्थी सं. 1 साले मोहम्मद के ड्राइविंग लायसेंस प्रदर्श-ए 1 ए मौजूद है, जिसके अनुसार अप्रार्थी सं. 1 का ड्राइविंग लायसेंस दुर्घटना की दिनांक को वैध था, ऐसी दशा में बीमा कम्पनी की यह आपत्ति सार्थक सिद्ध साबित नहीं हो पाती है।

24- जहाँ तक बीमा कंपनी की ओर से दुर्घटनाग्रस्त वाहन ट्रक का परमिट व फिटनेस नहीं होने के संबंध ली गयी आपत्ति का प्रश्न है, पत्रावली पर प्रार्थीगण की ओर से वाहन का परमिट व फिटनेस प्रदर्श-12 व 13 प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराये है, ऐसी दशा में वाहन परमिट व फिटनेस के संचालित किया जा रहा था अतः बीमा कंपनी की यह आपत्ति सार्थक प्रतीत नहीं होती है। वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रदर्श- ए 2 ए प्रस्तुत हुआ है जिससे उक्त वाहन का स्वामी अप्रार्थी सं. 2 का होना पाया जाता है।

25- इस प्रकार उक्त विवेचनानुसार विवाद्यक सं. 1 व 2 प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित किए जाते हैं।

विवाद्यक सं. 3:-

26- इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर था। प्रार्थीगण को यह साबित करना था कि वे दुर्घटना में हरीश कुमार मेहर, केशव उर्फ काव्यांश मेहर व अन्तिमा की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप किस प्रकार से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। विवाद्यक सं. 1 के निर्णय में यह पाया है कि अप्रार्थी सं.1 ने वाहन ट्रक नं. आर.जे.19 जी.एच. 5519 जिसका स्वामी अप्रार्थी सं. 2 था तथा उक्त वाहन अप्रार्थी सं. 3 के यहां बीमित था, को उपेक्षापूर्वक चलाकर दुर्घटना में हरीश कुमार मेहर, केशव उर्फ काव्यांश मेहर व अन्तिमा की मृत्यु कारित की है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अब अधिकरण को यह विचार करना है कि प्रार्थीगण को किस प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि दिलायी जावे:-

1-क्लैम याचिका सं. 73/2023

27- इस संबंध में सर्वप्रथम आय की क्षति की गणना हेतु मृतक की वक्त दुर्घटना आयु व आय क्या थी इस पर विचार किया जाना आवश्यक है:-

मृतक हरीश कुमार मेहर की आयु का निर्धारण:-

28- प्रार्थीगण ने याचिका में दुर्घटना के समय मृतक की आयु 27 वर्ष होना अंकित किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श-8 में भी मृतक की आयु 30 वर्ष अंकित है तथा



उसकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की अंकतालिका प्रदर्श-30 में इसकी जन्म दिनांक 10.11.1996 अंकित है, इस आधार पर भी मृतक की वक्त दुर्घटना आयु 26 वर्ष 03 माह होना पाया जाता है, ऐसी दशा में वक्त दुर्घटना मृतक हरीश कुमार मेहर की आयु वक्त दुर्घटना 26 वर्ष होना आंकलित की जाती है।

मृतक हरीश कुमार मेहर की आय का निर्धारण:-

29- दुर्घटना के समय मृतक द्वारा अर्जित की जाने वाली आय पर विचार करते हैं तो क्लैम याचिका में मृतक वक्त दुर्घटना अध्ययनरत रहना बताया है तथा उनके द्वारा निकट भविष्य में राजकीय स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिलना एवं प्रिंसीपल के पद पर पहुंचने का कयास लगाया गया है। इस संबंध में प्रार्थीगण की ओर से पी.टी.ई.टी. रिजल्ट प्रदर्श-21 व उसकी अंकतालिका प्रदर्श-28 लगायत 32 पेश किए हैं, ऐसी दशा में तत्समय राजस्थान सरकार की न्यूनतम मजदूरी की दर को मामले में प्रयुक्त किया जाना उचित रहेगा। घटना के समय **कुशल श्रमिक** की न्यूनतम मजदूरी दर **8,034/- रुपये थी।** अतः मृतक हरीश कुमार मेहर की मासिक आय **8,034/- रुपये** आंकलित की जाती है

30- मृतक पर आश्रित के रूप में प्रार्थी सं. 1 हेमराज मेहर मृतक का पिता, प्रार्थीया सं. 2 शान्ति मृतक की माता व प्रार्थीगण सं. 3 व 4 मेघा कुमारी व माया मेहर मृतक की बहिने हैं, ऐसी दशा में मृतक पर कुल 04 आश्रित होना प्रकट होता है। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ए. आई. आर. 2017 (एस.सी.)5157 नेशनल इंश्योरेस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सैठी व अन्य** में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसरण में मृतक हरीश कुमार मेहर पर **04 व्यक्ति आश्रित** होने से स्वयं पर किए जाने वाले **खर्च 1/4 भाग को** उसकी मासिक आय में से कम किया जाना उचित है, ऐसी दशा में मृतक की मासिक आय **8,034/- रुपये** में से स्वयं पर किए जाने वाले खर्च की राशि **1/4 जो 2,008/- रुपये** होती है, को कम किए जाने के उपरांत मासिक आय **6,026/- रुपये** होती है। इस प्रकार मृतक की वार्षिक आय **6,026x12= 72,312/- रुपये** होती है।

31- चूंकि मृतक हरीश कुमार मेहर की वार्षिक आय **72,312/- रुपये** निर्धारित की गयी है, जिसमें भविष्य में आय की बढ़ोतरी होने की संभावना है। उक्त वार्षिक आय में मृतक की तत्समय आयु 26 वर्ष होना पाये जाने से **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ए.आई.आर.2017(एस.सी.)5157 नेशनल इंश्योरेस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सैठी व अन्य** प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसरण में मृतक की वास्तविक वार्षिक आय **72,312/- रुपये** का 40 प्रतिशत भावी प्रत्याशा की राशि को भी जोड़ा जाना उचित है।



32- इस प्रकार मृतक हरीश कुमार मेहर की वार्षिक आय मय भावी प्रत्याशा की राशि 28,925/-रूपये होती है। जिसे जोड़ने पर कुल वार्षिक आय 72,312+ 28,925 = 1,01,237/- रूपये होना प्रकट होती है।

33- दुर्घटना के समय मृतक की आयु 26 वर्ष निर्धारित की गयी है, ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 2009 एस.सी. 3104 श्रीमति सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड व अन्य मामले में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार इस मामले में क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण हेतु 17 का गुणक प्रयुक्त किया जाना उचित रहेगा। इस प्रकार मृतक हरीश कुमार मेहर की मृत्यु से कुल आय क्षति 1,01,237x17= 17,21,029/-रूपये प्रार्थीगण को होना प्रकट होती है। जिसे प्रार्थीगण को दिलवाया जाना न्यायोचित है।

34- प्रार्थीगण मृतक हरीश कुमार मेहर की दुर्घटना में हुई मृत्यु के पश्चात अपने पुत्र व भाई के प्यार व स्नेह से भी वंचित होना पड़ा है, ऐसी दशा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ए.आई.आर. 2017 (एस.सी.)5157 नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सैठी व अन्य तथा मेगमा जनरल इंश्योरेंस व अन्य बनाम नानूराम उर्फ चारूराम व अन्य AIRONLINE 2018 S.C. 1249 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रार्थीगण को इस मद में 48,400/- रूपये तथा सभी प्रार्थीगण को संयुक्त रूप से संपदा क्षति मद में 18,150/- रूपये व अंतिम संस्कार व अन्य खर्च हेतु 18,150/- रूपये दिलवाया जाना न्यायोचित है।

35- इस प्रकार यह अधिकरण प्रार्थीगण को उक्त विवेचनानुसार अप्रार्थीगण से निम्न प्रकार राशि दिलवाया जाना न्यायोचित समझता है:-

क्र.सं	नाम मद जिसमें राशि दिलायी गयी है	राशि रुपयों मे
1	<p><u>I. मृतक की आय की आश्रितता की मद में:-</u> प्रतिमाह आय 8,034/- रूपये में से 1/4 भाग 2,008/- रूपये को कम किए जाने पर मृतक की मासिक आय 6,026/- रूपये। इस तरह मृतक की वार्षिक आय 6,026x12= 72,312/- रूपये</p> <p><u>II. भावी प्रत्याशा की मद में:-</u> मृतक की वार्षिक आय 72,312/- रूपये में से 40 % राशि 28,925/- रूपये को जोड़े जाने पर आय 72,312+ 28,925= 1,01,237/- रूपये।</p> <p><u>मृतक की मृत्यु से हुई कुल आय की क्षति:-</u> 1,01,237X17= 17,21,029/- रूपये</p>	17,21,029/- रूपये
2	मृतक की मृत्यु के कारण प्रार्थीगण (प्रत्येक को 48,400/-) प्यार, स्नेह व सहचर्य से वंचित होने	1,93,600/- रूपये



	पेटे= 48,400X4= 1,93,600/- रुपये	
3	संपदा क्षति मद में	18,150/-रुपये
4	मृतक के दाह संस्कार व अन्य व्यय हेतु	18,150/- रुपये
5	कुल क्षतिपूर्ति राशि	19,50,929/-रुपये

36- प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से संयुक्तः एवं पृथकतः प्रतिकर के रूप में कुल 19,50,929/-रुपये की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

2-क्रेम याचिका सं. 74/2023

37- इस संबंध में सर्वप्रथम आय की क्षति की गणना हेतु मृतक की वक्त दुर्घटना आयु व आय क्या थी इस पर विचार किया जाना आवश्यक है:-

मृतक केशव उर्फ काव्यांश मेहर की आयु का निर्धारण:-

38- प्रार्थीगण ने याचिका में दुर्घटना के समय मृतक की आयु 04 वर्ष होना बताया है जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श-16 में मृतक की आयु 02 वर्ष अंकित है अन्य कोई दस्तावेज आयु को साबित करने के लिए पेश नहीं हुए है। अतः घटना के समय मृतक केशव उर्फ काव्यांश की आयु 02 वर्ष होना आंकलित की जाती है।

मृतक केशव उर्फ काव्यांश मेहर की आयु का निर्धारण:-

39- दुर्घटना के समय मृतक केशव उर्फ काव्यांश 02 वर्ष का बालक था, ऐसी दशा में उसके द्वारा किसी तरह की आय अर्जित किया जाना नहीं माना जा सकता। आय अर्जित नहीं करने वाले मृतक बालक की क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण के लिए निम्न न्यायिक दृष्टांत का गंभीरतापूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया:-

2024(1) R.A.R. 33 (S.C)

Kusmi Devi Vs MD. Kasim & Anr.

उक्त मामले में मृतक 03 वर्षीय बालक था। इसके प्रतिकर का निर्धारण करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक बच्चे की जीवन की अनिश्चितता के कारण नियमित मानक में प्रतिकर की गणना पर मनन नहीं किया जा सकता, इस प्रकार **Global enhancement** के आधार पर कुल **6,50,000/- रुपये** एकमुश्त प्रतिकर की राशि दिलाया जाना निर्धारित किया है।

40- हस्तगत मामले में उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत पूर्णतः चस्पा होता है। हस्तगत मामले में मृतक केशव उर्फ काव्यांश 02 वर्ष का बालक है। अतः इस न्यायिक दृष्टांत के सार्वभौम **Global enhancement** के आधार पर कुल **6,50,000/- रुपये** एकमुश्त प्रतिकर की राशि दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त अन्य



कोई राशि मृतक केशव उर्फ काव्यांश की मृत्यु के फलस्वरूप दिलायी जाना न्यायोचित नहीं है।

41- प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से संयुक्ततः एवं पृथकतः प्रतिकर के रूप में एकमुश्त 6,50,000/-रुपये की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

3-क्लैम याचिका सं. 75/2023

42- इस संबंध में सर्वप्रथम आय की क्षति की गणना हेतु मृतका की वक्त दुर्घटना आयु व आय क्या थी इस पर विचार किया जाना आवश्यक है:-

मृतका अन्तिमा मालवीय की आय का निर्धारण:-

43- प्रार्थीगण ने याचिका में दुर्घटना के समय मृतका की आयु 27 वर्ष होना अंकित किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श-15 में भी मृतका की आयु 27 वर्ष अंकित है तथा उसकी माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की अंकतालिका प्रदर्श-44 में इसकी जन्म दिनांक 04.07.1994 अंकित है, इस आधार पर भी मृतका की वक्त दुर्घटना आयु 27 वर्ष 07 माह 06 दिन होना पाया जाता है, ऐसी दशा में वक्त दुर्घटना मृतका अन्तिमा मालवीय की आयु वक्त दुर्घटना 27 वर्ष होना आंकलित की जाती है।

मृतका अन्तिमा मालवीय की आय का निर्धारण:-

44- दुर्घटना के समय मृतका द्वारा अर्जित की जाने वाली आय पर विचार करते हैं तो क्लैम याचिका में मृतका वक्त दुर्घटना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर 25,000/- रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करना बताया है तथा उसको निकट भविष्य में सरकारी नौकरी मिलने का कयास लगाया गया है। इस संबंध में प्रार्थीगण मृतका की अंकतालिकाएं प्रदर्श-34 लगायत 44 पेश किए हैं। साथ ही साक्षी रतनबाई ए.ड. 2 ने अपनी पुत्री अन्तिमा द्वारा ट्यूशन पढ़ाकर 20 से 25 हजार रुपये प्रतिमाह कमा लेना का कथन किया है। लेकिन प्रार्थीगण की ओर से मृतका की आय को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गयी है, ऐसी दशा में तत्समय राजस्थान सरकार की न्यूनतम मजदूरी की दर को मामले में प्रयुक्त किया जाना उचित रहेगा। घटना के समय अर्द्धकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी दर 7,722/- रुपये थी। अतः मृतका अन्तिमा मालवीय की मासिक आय 7,722/- रुपये आंकलित की जाती है

45- मृतका पर आश्रित के रूप में प्रार्थीया सं. 1 रतन बाई मृतका का माता, प्रार्थी सं. 2 हेमराज मेहर मृतका का ससुर, प्रार्थीया सं. 3 शान्ति मृतका की सास तथा प्रार्थीगण सं. 4 व 5 मेघा कुमारी व माया मेहर मृतका की ननदें हैं, ऐसी दशा में मृतक पर कुल 05 आश्रित होना बताया है, किन्तु प्रार्थीया सं. 1 रतन भाई जो स्वयं को मृतका की



माता के रूप में क्लैम राशि प्राप्त करना चाहती है। स्वयं न्यायालय में ए.ड. 2 के रूप में परीक्षित हुई है, जिसने स्पष्ट रूप से बताया कि उसके पति के जीवनकाल में ही उसने पुत्री की शादी कर दी थी तथा पुत्री की सम्पूर्ण पढ़ाई उसके पति ने करवायी थी। ऐसी दशा में यह प्रार्थिया किसी तरह से मृतका पर आश्रित हो, यह नहीं माना जा सकता, क्योंकि विवाह उपरांत पत्नी की समस्त जिम्मेदारी पति और उसके परिवार की होती है। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ए. आई. आर. 2017 (एस.सी.)5157 नेशनल इंश्योरेस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सैठी व अन्य में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसरण में इस प्रकरण में मृतका अन्तिमा मालवीय पर 05 के स्थान पर 04 व्यक्ति ही आश्रित होना माना जाकर मृतका होने से स्वयं पर किए जाने वाले खर्च 1/4 भाग को उसकी मासिक आय में से कम किया जाना उचित है, ऐसी दशा में मृतक की मासिक आय 7,722/- रुपये में से स्वयं पर किए जाने वाले खर्च की राशि 1/4 जो 1,930/- रुपये होती है, को कम किए जाने के उपरांत मासिक आय 5,792/- रुपये होती है। इस प्रकार मृतका अन्तिमा मालवीय की वार्षिक आय $5,792 \times 12 = 69,504$ /- रुपये होती है।

46- चूंकि मृतका की वार्षिक आय 69,504/- रुपये निर्धारित की गयी है, जिसमें भविष्य में आय की बढ़ोतरी होने की संभावना है। उक्त वार्षिक आय में मृतका की तत्समय आयु 27 वर्ष होना पाये जाने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ए.आई.आर.2017(एस.सी.)5157 नेशनल इंश्योरेस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सैठी व अन्य प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसरण में मृतका की वास्तविक वार्षिक आय 69,504/- रुपये का 40 प्रतिशत भावी प्रत्याशा की राशि को भी जोड़ा जाना उचित है।

47- इस प्रकार मृतका की वार्षिक आय मय भावी प्रत्याशा की राशि 27,802/-रुपये होती है। जिसे जोड़ने पर कुल वार्षिक आय $69,504 + 27,802 = 97,306$ /- रुपये होना प्रकट होती है।

48- दुर्घटना के समय मृतका की आयु 27 वर्ष निर्धारित की गयी है, ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 2009 एस.सी. 3104 श्रीमति सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड व अन्य मामले में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार इस मामले में क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण हेतु 17 का गुणक प्रयुक्त किया जाना उचित रहेगा। इस प्रकार मृतक हरीश कुमार मेहर की मृत्यु से कुल आय क्षति $97,306 \times 17 = 16,54,202$ /-रुपये प्रार्थीगण को होना प्रकट होती है। जिसे प्रार्थीगण को दिलवाया जाना न्यायोचित है।



49- प्रार्थीगण हेमराज मेहर, शान्ति, मेघा कुमारी व माया मेहर मृतका अन्तिमा मालवीय की दुर्घटना में हुई मृत्यु के पश्चात अपनी पुत्री/बहु/भाभी के प्यार व स्नेह से भी वंचित होना पड़ा है, ऐसी दशा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ए.आई.आर. 2017(एस.सी.)5157 नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सैठी व अन्य तथा मेगमा जनरल इंश्योरेंस व अन्य बनाम नानूराम उर्फ चारूराम व अन्य AIRONLINE 2018 S.C. 1249 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रार्थीगण को इस मद में 48,400/- रुपये तथा सभी प्रार्थीगण को संयुक्त रूप से संपदा क्षति मद में 18,150/- रुपये व अंतिम संस्कार व अन्य खर्च हेतु 18,150/- रुपये दिलवाया जाना न्यायोचित है।

50- इस प्रकार यह अधिकरण प्रार्थीगण को उक्त विवेचनानुसार अप्रार्थीगण से निम्न प्रकार राशि दिलवाया जाना न्यायोचित समझता है:-

क्र.सं	नाम मद जिसमें राशि दिलायी गयी है	राशि रूपयों में
1	I. मृतका की आय की आश्रितता की मद में:- प्रतिमाह आय 7,722/- रुपये में से 1/4 भाग 1,930/- रुपये को कम किए जाने पर मृतका की मासिक आय 5,792/- रुपये। इस तरह मृतका की वार्षिक आय 5,792x12= 69,504/- रुपये II. भावी प्रत्याशा की मद में:- मृतका की वार्षिक आय 69,504/- रुपये में से 40 % राशि 27,802/- रुपये को जोड़े जाने पर आय 69,504+ 27,802= 97,306/- रुपये। मृतका की मृत्यु से हुई कुल आय की क्षति:- 97,306X17= 16,54,202/- रुपये	16,54,202/- रुपये
2	मृतका की मृत्यु के कारण प्रार्थीगण (प्रत्येक को 48,400/-) प्यार, स्नेह व सहचर्य से वंचित होने पेटे= 48,400X4= 1,93,600/- रुपये	1,93,600/- रुपये
3	संपदा क्षति मद में	18,150/-रुपये
4	मृतका के दाह संस्कार व अन्य व्यय हेतु	18,150/- रुपये
5	कुल क्षतिपूर्ति राशि	18,84,102/-रुपये

51- प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से संयुक्ततः एवं पृथकतः प्रतिकर के रूप में कुल 18,84,102/-रुपये की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

अनुतोष:-

52- विवाद्यक सं. 1 व 2 प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित किए गए हैं। विवाद्यक सं. 3 में प्रार्थीगण को अदा की जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की गयी है। जिसके अनुसार क्लैम याचिका सं. 73/2023 में प्रार्थीगण हेमराज मेहर वगै. को मृतक हरीश कुमार मेहर की दुर्घटना में हुई मृत्यु के फलस्वरूप 19,50,929/-रुपये,



क्लैम याचिका सं. 74/2023 में प्रार्थीगण हेमराज मेहर वगै. को मृतक केशव उर्फ काव्यांश मेहर की दुर्घटना में हुई मृत्यु के फलस्वरूप एकमुश्त 6,50,000/-रुपये तथा क्लैम याचिका सं. 75/2023 में प्रार्थीगण रतन बाई वगै. को मृतका अन्तिमा मालवीय की दुर्घटना में हुई मृत्यु के फलस्वरूप 18,84,102/-रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में अप्रार्थीगण से संयुक्ततः व पृथक्कतः प्राप्त करने के अधिकारी माना हैं, किन्तु उक्त राशि में से प्रार्थिया सं. 1 रतन बाई को मृतका अंतिमा पर आश्रित नहीं माने जाने से उसे किसी प्रकार की क्लैम राशि दिलाया जाना न्याय संगत नहीं है। प्रार्थना पत्र में अंकित शेष क्षतिपूर्ति राशि की प्रार्थीगण की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

पंचाट

53- अतः प्रार्थीगण हेमराज मेहर वगै. की क्लैम याचिका सं. 73/2023 अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम अंशत स्वीकार की जाकर इस आशय का पंचाट जारी किया जाता है कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से संयुक्ततः व पृथक्कतः क्षतिपूर्ति की राशि के रूप में कुल 19,50,929/-(अक्षरे उन्नीस लाख पचास हजार नौ सौ उन्नतीस) रुपये प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

54- उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि पर प्रार्थीगण याचिका प्रस्तुत किये जाने की दिनांक 26.04.2023 से तावसूली रकम 06 प्रतिशत साधारण ब्याज की वार्षिक दर से ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

55- क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज के एक माह में अदा की जावे। क्षतिपूर्ति राशि प्रार्थीगण को निम्नानुसार दिलवाई जावेगी:-

क्र.सं.	प्रार्थी	बचत खाते में	मियादी खाते में	अवधि
1	हेमराज मेहर	4,50,929/-रुपये व ब्याज	2,00,000/-रुपये	1 वर्ष
			2,50,000/-रुपये	2 वर्ष
2	शान्ति	4,00,000/-रुपये	2,00,000/-रुपये	1 वर्ष
			2,50,000/-रुपये	2 वर्ष
3	मेघा कुमारी	50,000/-रुपये	50,000/-रुपये	1 वर्ष
4	माया मेहर	50,000/-रुपये	50,000/-रुपये	1 वर्ष

56- अतः प्रार्थीगण हेमराज मेहर वगै. की क्लैम याचिका सं. 74/2023 अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम अंशत स्वीकार की जाकर इस आशय का पंचाट जारी किया जाता है कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से संयुक्ततः व पृथक्कतः क्षतिपूर्ति की राशि के रूप में कुल 6,50,000/-(अक्षरे छः लाख पचास) रुपये प्राप्त करने के अधिकारी हैं।



57- उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि पर प्रार्थीगण याचिका प्रस्तुत किये जाने की दिनांक 26.04.2023 से तावसूली रकम 06 प्रतिशत साधारण ब्याज की वार्षिक दर से ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

58- क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज के एक माह में अदा की जावे। क्षतिपूर्ति राशि प्रार्थीगण को निम्नानुसार दिलवाई जावेगी:-

क्र.सं.	प्रार्थी	बचत खाते में	मियादी खाते में	अवधि
1	हेमराज मेहर	2,50,000/-रुपये व ब्याज	1,00,000/- रुपये	1 वर्ष
2	शान्ति	2,00,000/-रुपये	1,00,000/- रुपये	1 वर्ष
3	मेघा कुमारी	-	-	-
4	माया मेहर	-	-	-

59- अतः प्रार्थीगण रतन बाई वगै. की क्लैम याचिका सं. 75/2023 अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम अंशत स्वीकार की जाकर इस आशय का पंचाट जारी किया जाता है कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से संयुक्ततः व पृथक्कतः क्षतिपूर्ति की राशि के रूप में कुल **18,84,102/-**(अक्षरे अठारह लाख चौरासी हजार एक सौ दो) **रुपये** प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उक्त राशि में से प्रार्थिया सं. 1 रतन बाई को मृतका अंतिमा पर आश्रित नहीं माने जाने से उसे किसी प्रकार की क्लैम राशि दिलाया जाना न्याय संगत नहीं है।

60- उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि पर प्रार्थीगण याचिका प्रस्तुत किये जाने की दिनांक 26.04.2023 से तावसूली रकम 06 प्रतिशत साधारण ब्याज की वार्षिक दर से ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

61- क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज के एक माह में अदा की जावे। क्षतिपूर्ति राशि प्रार्थीगण को निम्नानुसार दिलवाई जावेगी:-

क्र.सं.	प्रार्थी	बचत खाते में	मियादी खाते में	अवधि
1	रतन बाई	-	-	-
2	हेमराज मेहर	4,84,102/-रुपये व ब्याज	2,00,000/-रुपये	1 वर्ष
			2,00,000/-रुपये	2 वर्ष
3	शान्ति	4,00,000/-रुपये	2,00,000/-रुपये	1 वर्ष
			2,00,000/-रुपये	2 वर्ष
4	मेघा कुमारी	50,000/-रुपये	50,000/-रुपये	1 वर्ष



5	माया मेहर	50,000/-रुपये	50,000/-रुपये	1 वर्ष
62-	प्रार्थीगण को सावधि जमा के खाते पर इस अधिकरण की पूर्वानुमति के बिना किसी प्रकार का कोई ऋण एवं अग्रिम राशि का भुगतान देय नहीं होगा।			
63-	उपरोक्त अवार्डशुदा राशि मय ब्याज के अप्रार्थीगण द्वारा एक माह की अवधि के भीतर इस अधिकरण में जमा करायी जावेगी, प्रार्थनापत्र में अंकित शेष क्षतिपूर्ति राशि की प्रार्थीगण की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।			
64-	अवार्ड की एक प्रति संबंधित बीमा कम्पनी को जरिए ई-मेल प्रेषित की जावे।			
65-	पूर्व में प्रार्थीगण को यदि किसी प्रकार अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी की गयी है, तो वह राशि उक्त क्षतिपूर्ति राशि में समायोजित की जावे।			
66-	क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गढ़ पैलेस, झालावाड़ खाताधारक न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, झालावाड़ के खाता संख्या 51031550607 I.F.S.C. Code No. SBIN 0031268 मे जरिये NEFT/RTGS एक माह में जमा करवाकर सूचना नियमानुसार इस न्यायाधिकरण को भिजवाए।			

(दीपक दुबे)

न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
झालावाड़

67- निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीपक दुबे)

न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
झालावाड़

प्रमाण पत्र

निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

गिराज मीणा

(स्टेनोग्राफर ग्रेड-3)

नोट:- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।

Mr. Avinash Gupta